जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

कृषि उपभोक्ताओं के लिए योजना

30 रुपए प्रति हार्स पावर जमा करावें, अनाधिकृत बढे भार को नियमित करावें

''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' 01 सितम्बर से 30 नवम्बर, 2019 तक

जयपुर, 02 सितम्बर। कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि एवं राजस्व हानि को रोकने के लिये कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जयपुर डिस्कॉम द्वारा "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू की गई है। योजना 01 सितम्बर, 2019 से 30 नवम्बर, 2019 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना 31 अगस्त, 2019 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के गुप्ता ने बताया कि "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अर्न्तगत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढा हुआ पाया जावेगा तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नही ली जाएगी और बढे विद्युत भार को मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही यदि उपभोक्ता इस योजना का लाभ नही उठाते है तो योजना की अवधि समाप्त होने के उपरान्त चैकिंग के दौरान यदि उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया जायेगा तो ऐसे उपभेक्ताओं से बढे हुए भार पर कृषि नीति (आर.ई.ओ.–267) के अनुसार राशि वसूली जायेगी।

योजना के तहत दो वर्ष तक कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफॉर्मर क्षमता वृद्धि व नई 11के.वी. लाईन डालने एवं सब–स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हों, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढाते है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा और यदि पूर्व में दो मोटरें स्वीकृत है और कृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहे तो वे इस योजना का लाभ ले सकते है।

"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के बढे हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधानों कें अनुसार नियमित की जाएगी। योजना अवधि की समाप्ति 30 नवम्बर, 2019 के उपरान्त भार सत्यापन के लिये विशेष जांच अभियान चलाया जायेगा।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 908/2019